



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(35) परावि/प्रशा.1/आर.आर.डी.एस-2010/संस्था/2012/39 जयपुर दिनांक:- 6-1-16

—:आदेश:—

श्रीमती रमनिका कौर, RRDS, विकास अधिकारी पंचायत समिति नावा जिला नागौर का चयन राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2012 के अन्तर्गत सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक प.4 (12) सह/2013 दिनांक 17.11.2015 से सहायक रजिस्ट्रार, सहकारिता के पद पर किया गया है। श्रीमती कौर द्वारा राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में पदाधिकार सुरक्षित रखते हुये राजस्थान सहकारिता सेवा हेतु कार्यमुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः श्रीमती कौर को राजस्थान सहकारिता सेवा में चयन उपरान्त राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत नियम 15 के तहत पदाधिकार (Lien) राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में सुरक्षित रखते हुए राजस्थान सहकारिता सेवा में स्थायीकरण होने की सूचना विभाग को प्रस्तुत करने की शर्त के साथ राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

(गिरीश चाराशर)

शासन उप-सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सहकारिता विभाग, जयपुर को उनके आदेश क्रमांक प.4 (12) सह/2013 दिनांक 17.11.2015 के क्रम में सूचनार्थ।
7. संभागीय आयुक्त अजमेर।
8. जिला कलेक्टर नागौर।
9. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति नावां जिला नागौर।
11. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
12. प्रोग्रामर मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
13. संबंधित अधिकारी।
14. आदेश पत्रावली।

(गिरीश चाराशर)

शासन उप सचिव (प्रशा-1)